

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी

ज्ञानसिंह


बनाम

बृजमोहन

किस्म प्रकरण- मुन्तकिली प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 38 / 2022

जीसीएमएस संख्या 2022 / 238

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
04.01.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infectious हो चुका है। इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पैराकार राजस्व के कथन से हम सहमत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infectious हो जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;"> (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p> <p style="text-align: center;">रजिस्टर्ड प्रति निर्णय पत्र पत्रावली संख्या मु.नं. 38/2022 तारीख निर्णय: 04-1-2023 जिला कलेक्टर/नायब तहसीलदार SDO वायनवाट को भेजी। क्रमांक 76 दिनांक 17-01-2023</p> 